- 363 -

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, AT KOLKATA
O.A. No. 85 OF 2020/EZ

IN THE MATTER OF:
WING COMMANDER (RETIRED) Dr. BISWANATH PRASAD SINGH
...APPLICANT

-VERSUS-

THE DISTRICT MAGISTRATE, SARAN, CHHAPRA, BIHAR & ORS.
...RESPONDENTS

Sl No.	Particulars	Annexure	Page Nos.
1.	Affidavit/Report on behalf of Respondent no. 1	-	363 - 368
2.	Photo copy of the minutes of Meeting held on 21.12.2021	A	369- 371
3.	Photocopy of the minutes of Spot Verification held on 08.01.2022	B	372-375
4.	Photograph of proof of embarks, photocopy of compliance report and news paper cutting	C Colly	376 - 386
5.	Photo copy of letter No. 593(C)dated 05/02/2022	D	387 - 388
6.	Photocopy of Memo no.- 249/M dated 31.01.2022 and photographs	E Colly	389 - 394
7.	Photo copy of the letter No.- 248 dated: 31.01.2022	F	395 - 400
8.	Photo copy of the letter No.-121 dated 04.02.2022	G	401 - 404

Filed BY

Surendra Kumar

Advocate

Dated : 8/2/2021

Anil Kumar

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

SL No. 148/22 364

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.: 13823/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, AT KOLKATA

O.A. No. 85 OF 2020/EZ

IN THE MATTER OF:

WING COMMANDER (RETIRED) Dr. BISWANATH PRASAD SINGH

...APPLICANT

-VERSUS-

THE DISTRICT MAGISTRATE, SARAN, CHHAPRA, BIHAR & ORS.

...RESPONDENTS

Report/AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE REPONDENT NO. 1

I, Anil Kumar, son of Shri Dineesh Prasad, aged about 52 years, by faith- Hindu, by occupation- Service and working for gain at the Office of the District Magistrate, Collectorate Campus, Saran, District- Chhapra, Bihar Pin- 841301, do solemnly affirm and state as followed:

1. I am the authorised by the respondent no. 1 herein. I am the District Land Acquisition Officer, Saran State of Bihar. I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and I am competent to affirm this affidavit on behalf of the respondent no. 1 herein (hereinafter referred to as the "answering respondent"). I am fully aware of the facts and circumstances of the case and am competent to swear this affidavit.

2. That on 17th December, 2021 this Hon'ble Tribunal had directed the answering respondent to file an affidavit on the points of alternative route to be created for diverting the trucks so that the National Highway Authority of India (NHAI) can complete the process of construction of National Highway-19 Project and regarding stocking and piling of sand on the road side.

Anil Kumar

0 8 FEB 2022

3. That in the light of order dated 17.12.2021 passed by this Hon'ble Tribunal and for its strict compliance, a meeting for review was held on 21.12.2021 headed by the answering respondent in presence of all officers concerned being the the Project Director of NHAI Chapra, Project Manager of Mdhucon, Circle Officer, Sadar, Chapra, Circle Officer Garkha, District Mining Officer, District Transport Officer, Dy.S.P. (HQ). In this meeting necessary directions were given to all the concerned officer/s. In this meeting decision was taken for proper and convenient diversion of road/ traffic. Photo copy of the minutes of Meeting held on 21.12.2021 is being annexed herewith and marked as Annexure-"A".

4. That to expedite the work the answering respondent himself visited and inspected the full length of NH-19 Four lane on 08.01.2022 and gave adequate instructions to concerned office after spot verification that the vehicles having the route Siwan-Goplaganj via NH-85 are to be diverted to Garkha Sonho-Parsa-Dariyapur and those vehicles who come from Patna, for heavy duty vehicles shall be diverted to Dariyapur-Parsa-Sonho-Garkha and the regular traffic/vehicles shall be diverted to Pattipul Manpur-Basant-Garkha route. The NHAI and RCD were also requested to fix diversion and drop gate at connecting points so that the vehicle could passed through the alternate way and directions in this regard have been issued by the answering respondent. Photo copy of the minutes of Spot Verification held on 08.01.2022 is being annexed herewith and marked as Annexure-"B".

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-13823/15 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

5. That further in compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal, the Project Director, NHAI, Chapra has fixed several embarks of Diversion/Drop gate and submitted the photographs vide his letter No.1215, dated-31.01.2022. Similarly, Executive Engineer, Road Division, Chhapra has also complied the same and fixed embarks of Diversion/Drop gate at the required points, which shall be evident from the letter of the Executive Engineer, Road Division, Chhapra letter no.268, dated 02.02.2022. The information regarding diversions was also widely published in various daily News papers for the knowledge and information of public at large so as no traffic congestion is created and inconvenience is caused to the public at large. Photograph of proof of embarks, photocopy of compliance report and news paper cutting are being attached and marked as Annexure-"C" in series.

Anil Kumar

6. That subsequently, to enforce the route diversion and for its strict compliance, necessary directions were issued on the Superintend of Police, Saran vide letter No. 593(C) dated 05/02/2022 to deploy adequate police force at every diversion point and accordingly it has been complied and adequate police force have been deployed every diversion point. Photo copy of letter No. 593(C)dated 05/02/2022 is being attached herewith and marked as Annexure-"D".

7. That, as far stocking and piling of sand on the road side is concerned, it is to bring within kind knowledge of the Hon'ble NGT that no mining of yellow sand is being done in Saran district, rather the same is being done in adjoining Bhojpur/ Patna districts and vehicles use Saran district as a transit route for North Bihar and East Uttar Pradesh.

8. That, Saran district and police administration is trying its best to control movement of illegal mined sand. It is not out of place to mention here that for parking of the seized vehicles, 07 grounds have been identified and fixed by the District Magistrate, Saran vide an order contained in Memo no. 249/M dated 31.01.2022 and accordingly all seized vehicles have been removed successfully from the side of the National Highway roads around and the said vehicles have been parked over the located earmarked ground, which may be confirmed by the photograph attached herewith. Photocopy of Memo no.- 249/M dated 31.01.2022 and photographs of above are being attached herewith and marked as Annexure-"E" in series.

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No. 1382/18 VALID TILL 31-12-2022 GOVT. OF INDIA

9. That, in order of compliance District Mining officer, Saran vide his letter No. 248 dated 31.01.2022 informed the answering respondent that sand which were stocked nearby the road (NH-19) side have been removed and now road is completely free from any obstruction. Photo copy of the letter No.- 248 dated: 31.01.2022 is being annexed and marked as Annexure-"F".

10. That it is also relevant to mention here that District Administration has lodged several FIRs against the erring persons before the concerned police stations for illegal stocking and piling of sand and fines have also been imposed upon the concerned persons. The updated data is as follows:

Anil Kumar

i. Fine imposed and collected by District Mining officer, Chapra – Rs. 22.97 crore

ii. Fine imposed and collected by District Transport officer, Chapra – Rs. 16.32 crore

iii. Fine collected by RTA, Chapra – Rs.0.93 Crore

Total: Rs. 40.22 crore

11. That it is not out of place to disclose here that the after due satisfaction the Project Director, NHAI vide its letter no.-1921 dated 04.02.2022 admitted that there is no obstruction over the land in question where work is to be proposed. Photo copy of the letter No.-1921 dated 04.02.2022 is being attached and marked as Annexure-"G".

12. That considering the above noted facts and documentary evidences attached herewith as well as admission of NHAI, it shall be evident that the answering respondent has complied with the solemn orders passed by this Hon'ble Tribunal and alternative routes have been created for diversion of traffics and there is no obstruction where construction of road work is required to be done by NHAI and the answering respondent is also keeping close watch so that each and every legal. assistance will be provided to NHAI whenever required. The answering respondent is taking all possible measures to ensure full co-operation and support to the NHAI and resolve the issues and ensure the completion of the construction work at the earliest.

13. That apart from all the above facts the answering respondent is still ready to abide direction/s made by this Hon'ble Tribunal in this regard and is willing and ready to give all possible assistance and co-operation.

14. As regards to the prayer portion, the Hon'ble Tribunal may pass an order as the Hon'ble Tribunal may deem fit and proper for the ends of justice.

15. That the statements made in the paragraph no 1 to 12 are true to my knowledge as per the records and the rest are my humble submission before this Hon'ble Tribunal.

Prepared and drafted
in my office

Identified by me
Surendra Kumar
Advocate

DEPONENT

NARENDRA PRASAD GUPTA
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
REGN. NO.-13823/2018
ADVOCATE, HIGH COURT CALCUTTA
8, Old Post Office Street (Ground Floor)
In Front of F-Gate (High Court)
MOB.-8910576674
9883135090

L.T.I.(s) Signatures(s) of the Executant/s attested by me on Identification

NARENDRA PRASAD GUPTA, NOTARY
Advocate, HIGH COURT, KOLKATA
Regd. No.-13823/2018, Govt. of India

08 FEB 2022

VERIFICATION

Verified at Kolkata by the Deponent above named on this the 8th February, 2022 and I do hereby verify that all the facts as mentioned in the affidavit are true to my knowledge and no part thereof is false and nothing material has been concealed therefrom.

Date:- 08/2/2022

Anil Kumar
Deponent
8/2/2022

Place: Kolkata

Surendra Kumar
Advocate.

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.: 13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

369 Annexure 'A'

<u>सारण समाहरणालय</u>

<u>(जिला भू-अर्जन कार्यालय) सारण, छपरा।</u>

मानानीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन-कोलकत्ता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में दिनांक-21.12.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी में संधारित:-

- सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन-कोलकत्ता के द्वारा दिनांक-17.12.2021 को किये गये सुनवाई के कार्यशील अंश को बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों के समक्ष रखने के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन परियोजना एन0एच0-19 फोरलेन निर्माण की प्रगति की समीक्षा प्रारम्भ की गई।
- जिला पदाधिकारी के द्वारा एन0एच0-19 फोरलेन के शेरपुर से झौंवा भाग में सड़क निर्माण कार्य में एन.एच.ए.आई एवं कार्यकारी एजेंसी को उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन को कहा गया, जिसके आलोक में परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन के द्वारा निम्नवत बाते रखी गईः-

1.उनके द्वारा बताया गया कि चैनेज सं0-158+750, 161+780, 162+720, 163+080 एवं 163+410 पर क्रमशः सरकारी भूमि पर मंदिर अवस्थित है, जिसमें से चैनेज सं0-161+780 को छोड़कर सभी मंदिरों के स्थानांतरण हेतु सुयोग्य भूमि का चयन हो चुका है, परन्तु चैनेज सं0-161+780 के मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त मंदिर को अद्यतन नहीं हटाया जा सका है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी, सदर, छपरा को उक्त मंदिर के लिए अविलंब भूमि चयन करने तथा एन.एच.ए.आई. एवं कार्यकारी एजेंसी को सभी मंदिरों को अविलंब स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन एवं अंचलाधिकारी, सदर, छपरा)

NOTARY N.P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-1392/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

2.उनके द्वारा आगे बताया गया कि चैनेज सं0-164+170, 164+250, 164+580, 165+715 एवं 166+080 पर कुछ अंशों के रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित रहने के कारण लगभग 100 मी0 एन0एच0 का निर्माण कार्य बाधित है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित भू-अर्जन कार्यालय के कानूनगो को स्वयं स्थल पर जाकर उक्त रैयतों का मामला एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने एवं कृत कारवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ- कानूनगो, जिला भू-अर्जन कार्यालय, सारण, छपरा)

3.परियोजना निदेशक के द्वारा आगे बताया गया कि डोरीगंज थाना एवं अवतारनगर थाना के आस-पास बालू लदे ट्रक जिसमें मुख्य रुप से जब्त ट्रक शामिल है-के रोड पर खरे रहने के कारण सड़क की स्थिति खराब हो

Shot on Y17
Vivo AI camera
2022.01.20 16:36

TC

Scanned with CamScanner

370

रही है तथा जाम की स्थिति बनी रहती है। इस संदर्भ में बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, सारण के द्वारा बताया गया कि उक्त सभी ट्रकों को पीले बालू (Sone sand) के अवैध परिचालन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमानुसार जब्त किया गया है तथा उनपर विभाग के द्वारा निर्धारित अर्थदंड को भी अधिरोपित किया गया है, परन्तु वाहन चालक के द्वारा वाहन छोड़ कर भाग जाने के कारण मजबूरन उसे सड़क के किनारे रखा गया है।

उक्त विषय को जिला पदाधिकारी के द्वारा काफी गंभीरता से लेते हुए कहा गया कि उक्त भाग में अवैध बालू परिचालन एवं भंडारण बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण वहां रह रहे लोगो के साथ-साथ वहां से यात्रा कर रहे लोगो को भी काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है। तदनुसार उक्त समस्या के अविलंब निदान हेतु जिला पदाधिकारी के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निम्नवत् निदेश दिये गयेः-

- जिला खनन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया कि वे सर्वप्रथम जब्त अवैध पीले बालू (Sone sand) एवं उसके भंडारण को अभियान चलाकर यथाशीघ्र निष्पादित करायेंगे तथा किसी प्रकार की बालू के भंडारण पर पैनी नजर रखते हुए उसपर निरोधात्मक कारवाई करेंगे।

(अनुपालनार्थ-जिला खनन पदाधिकारी, सारण)

- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण एवं मोटरयान निरीक्षक, सारण को जब्त वाहन के अतिरिक्त सड़क के किनारे अनाधिकृत रुप से खरे किये गये सभी प्रकार के वाहन को हटाने एवं वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ-जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण एवं मोटरयान निरीक्षक, सारण)

- अंचलाधिकारी, सदर, छपरा एवं गरखा को निदेश दिया गया कि जब्त वाहन के ठहराव हेतु तत्काल रुप से सुयोग्य स्थल का चयन करेंगे तथा जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर उसे सड़क से हटाने में सहायता करेंगे।

(अनुपालनार्थ-अंचलाधिकारी, सदर एवं गरखा)

- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन को भाड़ी वाहनों को हटाने में लगने वाले उपकरण यथाः- पोकलेन, क्रेन, जे.सी.बी. हाईड्रा आदि की व्यवस्था कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो० साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन)

- बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक को संबंधित थानों यथा-डोरीगंज एवं अवतारनगर के साथ नियमित रुप से समन्वय स्थापित कर सड़क के किनारे किसी भी प्रकार वाहन के ठहराव पर प्रतिबंध एवं नियमानुसार सख्त कारवाई करने तथा जब्त वाहन को हटाने के क्रम में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ-पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय छपरा)

NOTARY GOVT. OF INDIA N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-13823/16 VALID. TILL 31-12-2023

Shot on Y17 Vivo AI camera 2022.01.20 16:36

TC

371

➢ जिला पदाधिकारी के द्वारा उक्त कार्य के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में परस्पर समन्वय स्थापित करने, सफलतापूर्वक निष्पादित कराने एवं कृत कारवाई से नियमित रूप से अवगत कराने का भी निदेश दिया गया।

4. जिला पदाधिकारी के द्वारा माननीय हरित प्राधिकरण के समक्ष याचिकाकर्त्ता के द्वारा बताये गये वैकल्पित मार्ग यथा-गरखा-सोनहो-परसा-दरियापुर पर सिवान की ओर से आने वाली वाहनों के परिचालन के बिन्दु पर अपनी सहमति देते हुए परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई को निदेश दिया गया कि वे एन0एच0-85 के कनेक्टिंग प्वाईट पर संकेतमूलक बोर्ड लगायेंगे जिससे सिवान-गोपालगंज से छपरा शहर के रास्ते आने वाले वाहन एन0एच0-19 पर न आ आकर वैकल्पिक सड़क के द्वारा परिचालित हो सकेगी। साथ-हीं मोटयान निरीक्षक, सारण को भी निदेश दिया गया कि एन.एच.ए.आई. से समन्वय स्थापित कर उनके आवश्यकतानुसार एन0एच0-19 पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगायेंगे, ताकि एन.एच.ए.आई. को सड़क निर्माण एवं पुनरुद्धार करने का पर्याप्त मौका मिल सकेगा।

(अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मोटरयान निरीक्षक, सारण)

अंत में जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त उपरोक्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन के आश्वासन के पश्चात सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

NOTARY N.P. GUPTA KOLKATA REGN. No. 13823/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

अपर समाहर्त्ता
सारण, छपरा, | 01/01/22 जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक-01/भू0अ0, दिनांक-01.01.2022

प्रतिलिपिः- आयुक्त, सारण प्रमण्डल को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मोंधुकोन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अंचलाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
सारण, छपरा, | 01/01/22 जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

WIDE Shot on Y17 Vivo AI camera 2022.01.20 16:36

TC

Scanned with CamScanner

372 Annexure "D"

सारण समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन कार्यालय) सारण, छपरा।

दिनांक-08.01.2022 को जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता परियोजना एन0एच0-19 फोरलेन (छपरा-हाजीपुर खंड) के संपूर्ण एलाईनमेंट की सम्पन्न स्थलीय भ्रमण की कार्यवाहीः-

➤ उक्त स्थलीय भ्रमण एन0एच0-19 फोरलेन के मेथवलिया प्वाईंट से प्रारम्भ की गई तथा छपरा बाईपास→शेरपुर से झौंवा→आमी बाईपास मानपुर-मनोहरपुर-सितलपुर बाईपास होते हुए बाकरपुर प्वाईंट तक किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रमुख बिन्दुओं पर रुककर उक्त मामलों की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभाग/पदाधिकारी को निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः-

1. सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा मेथवलिया (रिविलगंज) के समीप बन रहे ROB की समीक्षा की गई तथा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति द्रष्ट्व्य नहीं होने के कारण कार्यकारी एजेंसी के प्रति गहरी नराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि उक्त ROB नही बनने से भारी वाहनों को छपरा शहर के बीचों-बीच से गुजरना पड़ता है जिसके कारण छपरा शहर में निरंतर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। तदनुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यकारी एजेंसी से उक्त ROB के निर्माण एवं पूर्ण बाईपास को प्रारम्भ करने का समय-सीमा पुछा गया। जिसके आलोक में परियोजना निदेशक, NHAI, छपरा एवं कार्यकारी एजेंसी की ओर से उपस्थित मो0 साबरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन के द्वारा उक्त ROB का निर्माण एवं बाईपास को आमजनों के उपयोग के लिए 15 मार्च तक प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया।

   (अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन एवं अंचलाधिकारी, सदर, छपरा)

2. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा बताया गया कि छपरा बाईपास पर दो प्वाईंट यथा-उमधा चौक एवं मेथवलिया चौक पर चार मुहाना होने के कारण वहां दुर्घटनाग्रसित क्षेत्र बन चुका है जहाँ आये दिन दुर्घटना होती रहती है। उक्त के आलोक मे जिला पदाधिकारी के द्वारा उक्त दोनो चार मुहानों की स्थलीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत वहां मेजर जंक्शन, स्पीड लिमिटेशन की बोर्ड, स्पीड ब्रेकर आदि की कमी परिलक्षित हुई। तदनुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा परियोजना निदेशक, NHAI, छपरा को दोनो चार मुहानो यथा-उमधा चौक एवं मेथवलिया चौक पर एक सप्ताह के अंदर मेजर जंक्शन, स्पीड लिमिटेशन की बार्ड तथा स्पीड ब्रेकर लगाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन एवं अंचलाधिकारी, सदर, छपरा)

3. छपरा बाईपास के अंतिम छोर विशुनपुरा के समीप बने ROB की दोनो तरफ लगाये गये बैरिकैडिंग को यथाशीघ्र हटाने का निदेश निदेशक, NHAI, छपरा को दिया गया ताकि छोटी-बड़ी वाहन उक्त रास्ते से परिचालित हो सके तथा छपरा शहर का जाम में कमी लाया जा सके।

   (अनुपालनार्थ- परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा)

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-13823/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

373

4. परियोजना निदेशक के द्वारा बताया गया कि शेरपुर से झौंवा के बीच चैनेज सं0-164+170, 164+250, 164+580, 165+715 एवं 165+080 पर मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। उक्त संदर्भ में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण के द्वारा बताया गया कि चैनेज सं0-165+080 को छोड़ सभी चैनेजो से संबंधित रैयतों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है जबकि चैनेज सं0-165+080 के रैयत के द्वारा अधिकाय दर से मुआवजा भुगतान की मांग किया जा रहा है। तदनुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा NHAI एवं कार्यकारी एजेंसी को जिन चैनेजो पर मुआवजा भुगतान हो चुका है वहां यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को जिन रैयतों के द्वारा निर्धारित दर से मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा रहा है उनका मामला नियमानुसार सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन)

5. जिला पदाधिकारी के द्वारा शेरपुर से झौंवा तक प्रत्येक प्वाईंट का स्थल निरीक्षण किया गया तथा दिनांक-21.12.2021 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के अनुसार समीक्षा की गई। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी, सारण के द्वारा बताया गया कि जब्त पीले बालू (Sone Sand) के अधिकांश भाग का निष्पादन किया जा चुका है शेष भाग का निष्पादन किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा शेष बचे बालू को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, सारण को दिया गया।

(अनुपालनार्थ-जिला खनन पदाधिकारी, सारण)

6. शेरपुर से झौंवा तक के बीच जब्त वाहन के अतिरिक्त समान्य वाहन भी सड़क के किनारे खरी पायी गई, जिसके संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा जब्त वाहन को अंचलाधिकारी, सदर, छपरा के स्तर से चयनित भूमि पर यथाशीघ्र स्थानांतरित करने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, सारण एवं मोटरयान निरीक्षक को दिया गया तथा वाहनों को हटाने में उपयोग होने वाले उपक्रम यथाः- पोकलेन, क्रेन, जे.सी.बी. हाईड्रा आदि की व्यवस्था कराने का निदेश परियोजना निदेशक, NHAI, छपरा एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉधुकाने को दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त, अनाधिकृत रुप से खरे वाहनों को यथाशीघ्र हटाने एवं उनपर नियमानुसार अर्थदंड लगाने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को दिया गया।

(अनुपालनार्थ-जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, जिला खनन पदाधिकारी, सारण, मोटरयान निरीक्षक, सारण परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन)

7. **जिला** पदाधिकारी के द्वारा आमी बाईपास, मानपुर-मनोहरपुर-सुमेरपट्टी-**शीतलपुर** बाईपास की स्थलीय समीक्षा की गई। इस दौरान परियोजना **निदेशक,** NHAI, छपरा एवं कार्यकारी एजेंसी को आमी बाईपास का निर्माण एवं लोकहित में यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13233/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

374

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण के द्वारा बताया गय कि मानुपर-मनोहरपुर के रैयतों के द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में उनका मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया गया है। उक्त संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अंदर संबंधित गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हे परियोजना की महत्ता के बारे में बताते हुए मुआवजा भुगतान हेतु प्रेरित करेंगे तथा निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करने की अपील करेंगे तथा ग्रामीणों की मंशा के अनुसार वांछित कारवाई सहित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

मौजा-सुमेरपट्टी एवं शीतलपुर में कतिपय रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित होने की बात परियोजना निदेशक, NHAI, छपरा के द्वारा बतायी गई। उक्त संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण निदेश दिया गया कि उक्त ग्रामों में संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के साथ स्थानीय कैम्प लगाकर सभी रैयतों का मुआवजा भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कारवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(अनुपालनार्थ-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर, परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉंधुकोन)

NOTARY H.P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-13823/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

8. जिला पदाधिकारी के द्वारा दिनांक-21.12.2021 को सम्पन्न बैठक में माननीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन के द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग यथा-गरखा-सोनहो-परसा-दरियापुर पर सिवान-गोपालगंज की ओर से आने वाली वाहनों एवं पटना की ओर से आने वाले वाहनों के परिचालन एवं Divert करने के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार उसकी संभावना की जाँच की गई तथा जाँचोपरांत उक्त मार्ग परिचालन हेतु उपयुक्त पायी गई। तदनुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा उक्त वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों के परिचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

- सिवान-गोपालगंज से आने वाले सभी प्रकार वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रास्ते परिचालित करने हेतु परियोजना निदेशक, NHAI, छपरा एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा को अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी कनेक्टिंग प्वाईट पर संकेतमूलक बोर्ड/Diversion लगाने एवं कृत कारवाई से फोटोग्राफ सहित एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनार्थ-परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई, छपरा एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा)

- **पटना** से आने वाले भाड़ी वाहनों को दरियापुर-परसा-सोनहो-गरखा के **रास्ते** परिचालित करने का निर्णय लिया गया। जबकि छोटी वाहनों को **पट्टीपुल**-मानपुर(बोलबंब प्वाईट)-मटिहान-बसंत-गरखा के रास्ते परिचालित **करने** का निर्णय लिया गया। उक्त संदर्भ में परियोजना निदेशक, NHAI, **छपरा** तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा को क्रमशः **संकेतमूलक** बोर्ड/Diversion लगाने तथा शीतलपुर मोड़ के समीप बैरिकैडिंग **लगाने** का निदेश दिया गया। साथ-ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,

TC

375

सोनपुर को शीतलपुर मोड़ एवं मानुपर (बोलबंब प्वाईट) पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया, जो उक्त रास्तों से वाहन परिचालित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनार्थ–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर)

- मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे NHAI से हमेशा संपर्क में रहेंगे तथा उनके आवश्यकतानुसार शेरपुर से झौंवा के बीच सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगायेंगे।

(अनुपालनार्थ–मोटरयान निरीक्षक, सारण)

अंत में जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को आपस में परस्पर समन्वय स्थापित करने तथा इस महत्वकांक्षी परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने की अपेक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से उपरोक्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन के आश्वासन के साथ इस स्थल निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की गई।

17/1/22 15/01/22

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सारण छपरा,	अपर समाहर्त्ता सारण, छपरा,	जिला पदाधिकारी सारण, छपरा।

ज्ञापांक–.....105......../भू०अ०, दिनांक–..19.01.2022

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सारण प्रमण्डल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा/अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मोटरयान निरीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मो0 साबरी, प्राजेक्ट मैनेजर, मॉधुकोन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, सदर, छपरा, दिघवारा, दरियापुर, सोनपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

17/1/22 15/01/22

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सारण छपरा,	अपर समाहर्त्ता सारण, छपरा,	जिला पदाधिकारी सारण, छपरा।

NOTARY N.P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-1323/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

TC

376 Annexure 'C' (1)

गोपनीय

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा।
email ID: eercdchapra@gmail.com

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता
03 FEB 2022
सारण छपरा

पत्रांक :– 268 (अनु०)   छपरा, दिनांक :– 02.02.2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, छपरा।

imp
write SP/SDPO
for forcedeployment

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।

विषयः– दिनांक 08.01.2022 को भवदीय द्वारा NH–19 फोर लेन के स्थल भ्रमण में दिये गये निदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित स्थल भ्रमण के दौरान भवदीय द्वारा शीतलपुर मोड़ के समीप बैरिकैडिंग (Drop Gate) लगाने निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए विषयांकित स्थल पर बैरिकैडिंग (Drop Gate) अधिष्ठापित कर दिया गया है, जिसका फोटोग्राफ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

R.R. No 297 / 04-2-22

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

02/2/22
कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, छपरा।

TC

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 1382/3/18
VALID TILL 31.12.2023
GOVT. OF INDIA

D:\D Drive Backup\RAVIE Drive\Letters\7095.doc

Scanned with CamScanner

Annexure C2

377

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

C3

378

190

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. NO.: 13023/18
VALID TILL 31-12-2022
GOVT. OF INDIA

379

C4

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

380

अतिआवश्यक सूचना
सभी प्रकार के बड़े एवं भाड़ी वाहनों का
पट्टी पुल से प्रवेश निषेध है।
कृप्या छपरा, सिवान एवं गोपालगंज जाने हेतु
शीतलपुर, दरियापुर, परसा एवं सोन्हो पथ का उपयोग
किया जाए।
आदेशानुसार
जिलाधिकारी, सारण
पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार
BOI

381

C6

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highway Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई–छपरा
Project Implementation Unit - Chhapra
मकान–श्री मति गायत्री देवी, ए1, प्रभुनाथ नगर, पोस्ट–तारी, थाना–मुफसिल, जिला–सारण (छपरा), बिहार, पिन–841301
H/o- Smt. Gayatri Devi, A1, Prabhunath Nagar, PO-Tari, PS-Mufsil, District-Saran (Chhapra), Bihar, Pin - 841301
Ph: 06152-248058 & 248052
Email: hajipur@nhai.org, nhaichhapra@gmail.com

382 C7

NHAI/PIU/Chhapra/NH-19/DM Saran/NGT/2022/ 1215

Date: 31/01/2022

To,

The District Magistrate
Saran, Bihar

Sub. :- Diversion of Heavy duty vehicles from Sherpur-Jhaua village on Chhapra-Hajipur section of NH-19 as per direction of DM saran during site visit dated 08.01.2022-reg.

Ref. :- ADM saran letter No. 125 dated 22.01.2022

Sir,

In context to the subject cited above, it is informed that traffic diversion board is installed at connecting point of NH-19 & NH-101 (Umdha) as well as at connecting point of NH-19 & NH-102 (Mehiyan) for diversion of heavy duty vehicles coming from Siwan-Gopalganj via Garkha-Sonho-Parsa-Dariyapur road. Photographs has been enclosed.

Yours Faithfully

Project Director
NHAI PIU-Chhapra

Encl. :- as above

Copy:- (i) Regional Office, Patna-for kind information, please
(ii) ADM Saran- for kind information, please

TC

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. [illegible]
GOVT. OF INDIA

383

C8

शहर मेंभारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है।
कृपया भारी वाहन मेंहियाँ
गड़खा हो कर जाये
जिला प्रशासन, छपरा।
NOTARY
GOVT. OF INDIA

C9

NOTARY
N. F. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13023/10
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

TC/R

C10

में सारण जिले में कुल 9 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। सभी नकलची परीक्षार्थी को शेष परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। सभी निष्कासन फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा में हुआ। जबकि सेकेंड सिटिंग की परीक्षा में निष्कासन शून्य रहा।

केन्द्रों में हुआ। वहीं दूसरे दिन 2 फरवरी को सिर्फ सोनपुर व मढ़ौरा स्थित केन्द्र से 6 तथा छपरा से 6 निष्कासन हुआ था। उसके बाद पुनः 3 फरवरी को छपरा से ही 6 तथा 4 फरवरी को जिला मुख्यालय स्थित केन्द्रों से 9 परीक्षार्थी को नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित किया गया है।

एनजीटी में दायर याचिका पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई, डंप बालू हटाने का दिया गया है निर्देश

फोरलेन पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक एनएचएआई को जून तक काम करना होगा पूरा

सिटी रिपोर्टर | छपरा

भास्कर द्वारा एनएच-19 छपरा-पटना मार्ग को लेकर चलाए गए सीरिज के आधार पर एनजीटी में याचिका दायर है। जिसमें 10 फरवरी को सुनवाई होनी है। एनजीटी ने जिलाधिकारी को काम शीघ्र पूरा करने और डंप की गई बालू को हटाने का सख्त निर्देश दिया था। एनजीटी के निर्देश के आलोक में पटना-छपरा फोरलेन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक डीएम राजेश मीणा की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी। जिला पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय एनजीटी के आदेशानुसार निर्माण कार्य में सुगमता के लिए पटना-सीवान राष्ट्रीय उच्चपथ 85 पर से ही भारी वाहनों के परिचालन का निर्देश दिया गया। निर्माणाधीन फोरलेन पर अभी वर्तमान में गाड़ियों का परिचालन वर्जित किया गया है।

ऐसे चलेगी गाड़ियां

पटना से सीवान तथा सीवान से पटना गाड़ी गड़खा, सोनहो, दरियापुर, परसा, शीतलपुर होकर पटना जा सकेगी। इसकी जानकारी फोरलेन के कार्य एजेंसी एवं राष्ट्रीय उच्चपथ के अभियंता को साइनेज के जरिए देने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही इसके अनुपालन के लिए ड्रापगेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

भास्कर इंपैक्ट डीएम ने जारी किया आदेश, फोरलेन के काम में हर हाल में तेजी लाएं

छपरा-पटना मार्ग पर ट्रकों की लगी कतार।

10 साल बीत गए • बजट 500 करोड़ रुपए की लागत बढ़कर पहुंचा 900 करोड़, फिर 190 करोड़ आवंटित

छपरा-हाजीपुर फोरलेन बनाने में 10 साल भी कम पड़ गया। लोगों का फोरलेन पर फर्राटेदार यात्रा का आनंद लेने का सपना एक लंबे समय के बाद भी अधूरा है। वर्ष 2010 में हाजीपुर से छपरा-मैथवलिया एनएच 19 को फोरलेन बनाने का काम शुरू हुआ था। निर्माण कार्य करा रहा कंपनी का दावा है कि फोरलेन का काम 90 फीसद पूरा हो चुका है। अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो इस साल में जून तक फोरलेन का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहां बता दें कि इस रोड पर कंपनी ने जब काम शुरुआत की थी तो प्रारंभिक लागत करीब 500 करोड़ की थी अब यह बढ़कर 10 साल में 900 करोड़ से अधिक चला गया है। बैंकों द्वारा मना कर दिये जाने के बाद एनएचएआई ने 190 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

19 दिसंबर 2021 को प्रकाशित खबर

29 दिसंबर 2021 को प्रकाशित खबर

याचिकाकर्ता ने कहा अभी

महज 25% समस्या का समाधान, डंप बालू एनएच से हटाना होगा

याचिकाकर्ता चेन्ट्रल फोरम के महासचिव डॉ. बीपी सिंह ने इस बाबत कहा कि एनएच-19 पर भारी वाहनों के बंद करने से काम को गति मिलेगी। फोरलेन का निर्माण शीघ्र हो जाएगा। लेकिन एनएच के किनारे में बालू का ढेर लगा है। गीला या सूखा जो भी बालू है वह पॉल्यूशन पैदा कर उत्पन्न है।

निर्माण कार्य जून 2022 तक पूर्ण हो जाने की संभावना

समीक्षा बैठक में एन.एच. के अभियंता के द्वारा जानकारी दी गयी कि छपरा-पटना फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लायी जा रही है। निर्माण कार्य जून 2022 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन फोरलेन के किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रकों पर जुर्माना लगाने का भी सख्त निर्देश दिया गया। ताकि निर्माण कार्य में किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न न हो सके। भूमि अधिग्रहण के कुछेक लंबित मामलों में कैम्प लगाकर इसी माह राशि वितरण करने का भी सख्त निर्देश दिया गया।

ट्यूशन पढ़ाते थे, काम छूटने के बाद भीक्षा से कर रहे थे जीवनयापन

फरीदपुरा में पेड़ से लटका हुआ मिला शिक्षक का शव, आत्महत्या का अंदेशा

मृतक के परिजनों ने नहीं उठाया शव

सोनपुर में हाथ-पैर बंधा मिला था रामसहाय राय का शव, प्राथमिकी दर्ज

सोनपुर छपरा रेल सेक्शन के नयागांव, रसूलपुर रेलवे स्टेशन के बीच उत्तर तरफ के समीप शव मिलने पर मृतक के भाई परसा थाना

तिलकोत्सव के बाद कमरे में रुपए व गहने

रसूलपुर में तिलको... उड़ाए 2.70 लाख के...

सिटी रिपोर्टर | रसूलपुर

दैनिक भास्कर
5/2/2022

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-1? VALID TILL 31.10.23 GOVT. OF INDIA

TC

386

C11

18.0° अधिकतम तापमान | 11.0° न्यूनतम तापमान | सूर्य अस्त (आज) 05:25 उदय (कल) 05:46

छपरा जागरण

निर्माणाधीन पटना–छपरा फोरलेन पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक

पटना से जाने वाले गड़खा, सोनहो, दरियापुर, परसा, शीतलपुर होकर जा सकेंगे

जासं, छपरा : निर्माणाधीन पटना-छपरा फोरलेन पर भारी वाहनों के परिचालन पर डीएम राजेश मीणा ने रोक लगा दी है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के निर्देश के आलोक में पटना-छपरा फोरलेन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने यह आदेश जारी किया है। डीएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में इसको लेकर शुक्रवार को बैठक आहूत की गयी। डीएम द्वारा एनजीटी के आदेशानुसार निर्माण कार्य में सुगमता हेतु पटना-सिवान राष्ट्रीय उच्चपथ 85 पर से ही भारी वाहनों के परिचालन का निर्देश दिया गया। छपरा-पटना निर्माणाधीन फोर लेन पर अभी वर्तमान में गाड़ियों का परिचालन वर्जित किया गया है। गाड़ियों के अधिक भार के कारण निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए डीएम ने यह आदेश दिया है। फोरलेन निर्माण कार्य में विलंब को लेकर एनजीटी ने भी नाराजगी जतायी है। पटना से सिवान तथा सिवान से पटना गाड़ी गड़खा, सोनहो, दरियापुर, परसा, शीतलपुर होकर पटना जा सकेगी। इसकी जानकारी फोरलेन के कार्य एजेंसी एवं राष्ट्रीय उच्चपथ के अभियंता को साइनेज के जरिए देने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही इसके अनुपालन हेतु ड्रापगेट के साथ पुलिसबल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में एनएच के अभियंता द्वारा जानकारी दी गयी कि पटना-छपरा फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लायी जा रही है। निर्माण कार्य जून 2022 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन फोरलेन के किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रकों पर जुर्माना लगाने का भी सख्त निर्देश दिया ताकि निर्माण कार्य में किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न न हो सके। भूमि अधिग्रहण के कुछेक लंबित मामलों में कैम्प लगाकर इसी माह राशि वितरित करने का भी सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्ता डा गगन, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय उच्चपथ के कार्यपालक अभियंता, कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि एवं भू-अर्जन कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे। बताते चलें कि छपरा-पटना फोरलेन का निर्माण कार्य पिछले 13 वर्ष से चल रहा है। इतने समय बीत जाने के बाद यह कार्य आजतक अधूरा है।

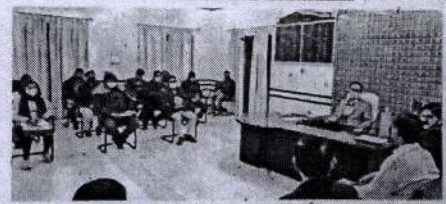

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते डीएम राजेश मीणा। • जागरण

आधा दर्जन से अधिक युवक जख्मी, इलाज के लिए किया गया पीएमसीएच रेफर

दैनिक जागरण
5/2/2022

TC

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31.12.2023
GOVT. OF INDIA

387

Annexure "D"

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 593 /सी	फोन नं0-06152-240001, 240002
दिनांक 05-02 2022	फैक्स नं0-06152-240006
	ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
सारण, छपरा।

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31.12.2023
GOVT. OF INDIA

विषय :- माननीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन-कोलकत्ता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन-कोलकत्ता के समक्ष विचाराधीन परियोजना एन0एच0-19 फोरलेन निर्माण अन्तर्गत शेरपुर से झौंवा के बीच निर्माण कार्य सम्पन्न कराने की दिशा में वैकल्पिक मार्ग के रास्ते वाहनों के अवागमन के संदर्भ में माननीय हरित प्राधिकरण, पूर्वोत्तर जोन-कोलकत्ता द्वारा दिनांक-17.12.2021 के तहत पारित आदेश में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक-08.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त भाग का स्थल निरीक्षण किया गया तथा इस दौरान सिवान-गोपालगंज (एन0एच0-85) के रास्ते आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को गरखा-सोनहो-परसा-दरियापुर की ओर Divert करने का निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी तरफ, पटना की ओर से आने वाली भारी वाहनों को दरियापुर-परसा-सोनहो-गरखा की ओर Divert करने जबकि छोटी वाहनों को पट्टीपुल-मानपुर (बोलबम प्वाईंट)-मटिहान-बसंत-गरखा की ओर Divert करने का निर्णय लिया गया।

उक्त दिशा में एन0एच0ए0आई0 एवं पथ प्रमण्डल, छपरा के द्वारा संबंधित कनेक्टिंग प्वाईंटों पर संकेतसूचक बोर्ड/Diversion तथा Drop Gate लगाया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः-

- एन0एच0ए0आई0 के द्वारा उमधा चौक, मेथवलिया चौक एवं एन0एच0-102 के क्रॉसिंग प्वाईंट पर संकेतसूचक बोर्ड/Diversion/Drop Gate लगाया गया है।
- पथ प्रमण्डल, छपरा के द्वारा सितलपुर एवं मानपुर (बोलबम प्वाईंट) पर संकेतसूचक बोर्ड/Diversion/Drop Gate लगाया गया है।

इस प्रकार, उक्त वैकल्पिक मार्ग से वाहनों के सुगमतापूर्वक परिचालन हेतु सभी संकेतसूचक बोर्ड/Diversion/Drop Gate पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है, ताकि उक्त मार्गो से आने वाले वाहन एन0एच0-19

फोरलेन के शेरपुर–झौंवा भाग पर न आकर वैकल्पिक मार्ग के रास्ते परिचालित हो सके एवं एन0एच0ए0आई0 तथा कार्यकारी एजेंसी द्वारा अवशेष कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उपरोक्त प्वाईंटों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए संबंधित थानों को प्रतिनियुक्त बलों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं उनका फोटोग्राफ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

05/02/22

जिलाधिकारी

सारण, छपरा।

5/2/22

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13923/18
GOVT. OF INDIA

389 Annexure E in series

सारण समाहरणालय, छपरा

(खनन शाखा)

पत्रांक........................./एम०

दिनांक........................./2021

फोन नं०:-06152-240002, 240005

फैक्स नं०:-06152-240006

ई-मेल:-dm-saran.bih@nic.in

आदेश

दिनांक-30.12.2021 को सम्पन्न जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में लघु खनिज से लदे अवैध जब्त वाहनों को पार्क करने के निमित अंचलाधिकारी के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थल चयन कर सूची उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नवत है:-

क्र0 स0	अंचल का नाम	चयनित स्थल	वाहन पार्क करने की क्षमता
1	गरखा	1. गरखा प्रखण्ड परिसर में वन विभाग के सामने 2. गंडक कॉलोनी गरखा के पास	250-300 वाहन
2	परसा	1. डॉक बंगला के पास/ थाना के बगल में 2. पंचायत सरकार भवन के पास माडर के पास	20-25 वाहन 65-70 वाहन
3	मढ़ौरा	मढ़ौरा बाजार के पास चीनी मिल की भूमि	100-150 वाहन
4	पानापुर	पंचायत सरकार भवन सतजोड़ा से सटा हुआ भूमि	40-50 वाहन
5	अमनौर	कटसा चीनी मिल की भूमि	500-1000 वाहन
6	नगरा	रसूलपुर	---
7	सदर	खलपुरा	200-250 वाहन

NOTARY N. P. GUPTA KOLKATA REGN. No.-13823/18 VALID TILL 31-12-2023 GOVT. OF INDIA

उपरोक्त चयनित स्थल को अवैध बालू से लदे जब्त वाहनों को पार्क करने हेतु चिन्हित किया जाता है।

अतः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सारण, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सारण, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक, सभी अंचलाधिकारी-सह-खान निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी उपर्युक्त चिन्हित स्थलों पर ही संबंधित क्षेत्र में जब्त किए गए वाहनों

TC

390

को पार्क करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में जब्त वाहनों को NH/SH पर पार्क नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

समाहर्त्ता,

सारण, छपरा।

ज्ञापांक- 249 /एम०   दिनांक- 31.01.2022

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सारण/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सारण/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी, सारण/मोटरयान निरीक्षक, सारण/खान निरीक्षक, सारण/सभी अंचलाधिकारी-सह-खान निरीक्षक, सारण/ सभी थानाध्यक्ष, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही धावा दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे चयनित स्थलों पर ही जब्त वाहनों को पार्किंग करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में जब्त वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) एवं राजकीय राजमार्ग (SH) पर पार्क नहीं किये जाएगें।

समाहर्त्ता,

सारण, छपरा।

28/01/22

TC

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

TC

NOTARY
GOVT. OF INDIA
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. NO.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023

391

TC

NOTARY GOVT. OF INDIA
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023

392

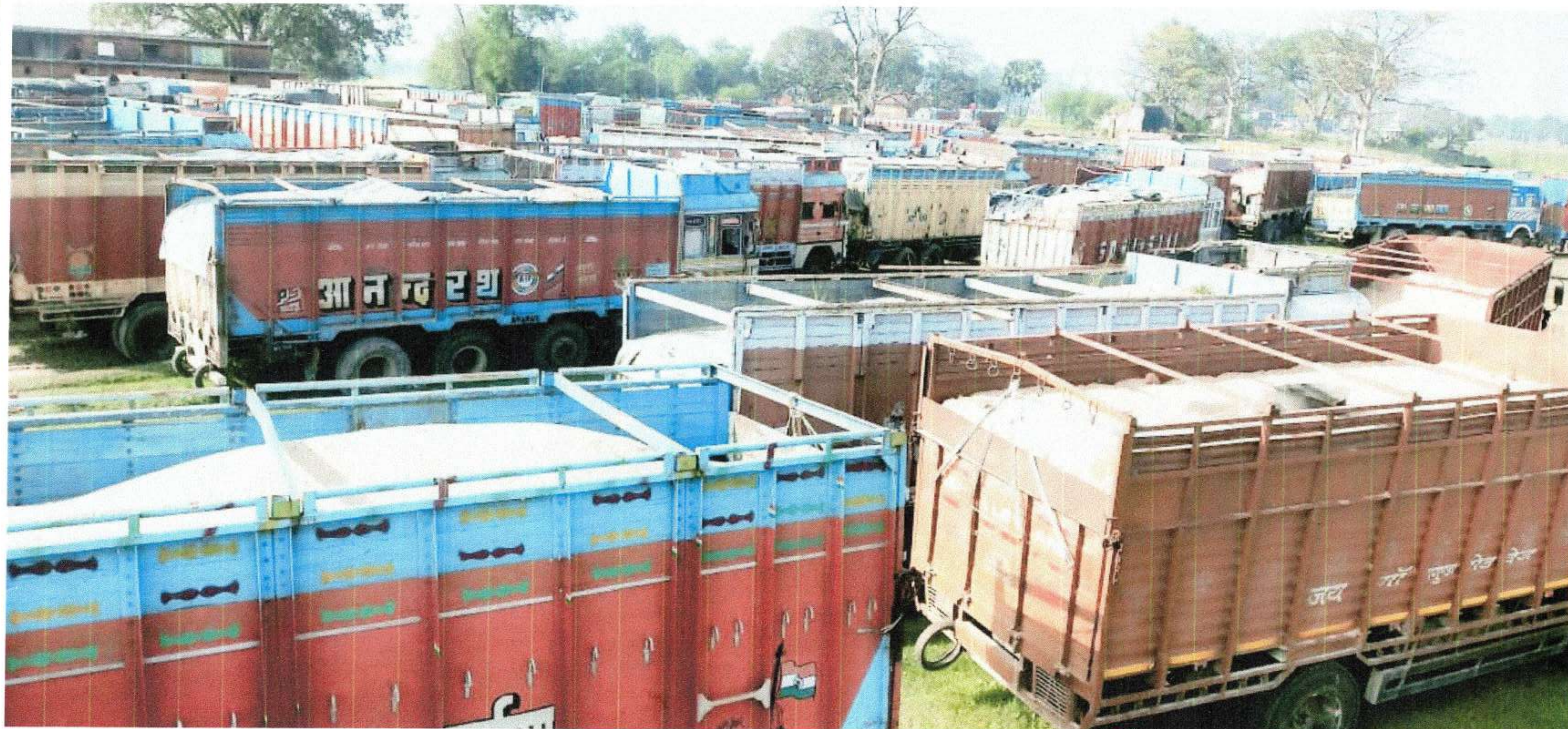

NOTARY
GOVT. OF INDIA
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. NO.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023

TC

NOTARY
GOVT. OF INDIA
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023

395

Annexure-f

सारण समाहरणालय

(जिला खनन कार्यालय) सारण, छपरा।

पत्रांक–248, दिनांक–31.01.2022

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषयः– दिनांक–08.01.2022 को जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में परियोजना एन0एच0–19 फोरलेन निर्माण कार्य की सम्पन्न स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक–08.01.2022 को जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में परियोजना एन0एच0–19 फोरलेन निर्माण कार्य की सम्पन्न स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में उक्त परियोजना के शेरपुर से झौंवा के बीच जब्त पीले बालू (Sone Sand) को पूर्ण रुप से निष्पादित कर दिया दिया गया है तथा वर्तमान में सड़क किनारे कहीं भी पीले बालू (Sone Sand) अवस्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सड़क के किनारे खड़ी जब्त वाहनों को भी चिन्हित भूमि पर हस्तांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, उक्त भाग पर NHAI को सड़क निर्माण करने के लिए सड़क पूर्ण रुप से खाली हो चुका है।

तत्संबंधी फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन भवदीय सेवार्थ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/2022
खान निरीक्षक
सारण, छपरा,

विश्वासभाजन
Santosh Kumar
31.01.22
खनिज विकास पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

TC

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.: 13823/18
VALID Upto 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

396

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

397

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

398

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
GOVT. OF INDIA

399

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No. 13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

400

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT OF INDIA

401 Annexure-9

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highway Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई–छपरा

Project Implementation Unit - Chhapra

Ph: 06152-248058 & 248052
Email: hajipur@nhai.org, nhaichhapra@gmail.com

मकान–श्री मति गायत्री देवी, ए1, प्रभुनाथ नगर, पोस्ट–तारी, थाना–मुफसिल, जिला–सारण (छपरा), बिहार, पिन–841301
H/o- Smt. Gayatri Devi, A1, Prabhunath Nagar, PO-Tari, PS-Mufsil, District-Saran (Chhapra), Bihar, Pin - 841301

सं0:–भाराराप्रा / पकाई / छपरा / रा0रा0–19 / एन0जी0टी0 / 2022 / 1221 04 फरवरी 2022

सेवा में,
जिला पदाधिकारी
सारण (छपरा)

विषयः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 / 31 के छपरा – हाजीपुर खण्ड पर विगत माह में हुई प्रगति की विवरणी के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि 08 जनवरी 2022 को आपकी अध्यक्षता में जिला के उच्च पदाधिकारियों के साथ छपरा – हाजीपुर पथ का भ्रमण किया गया तथा निर्माण कार्य में आ रहे अधिकतम व्यवधानों को दूर किया गया ।

2. शेरपुर से झौवा के बीच 5 (पॉच) स्थानों पर निर्माण कार्य में जो व्यवधान थी उनमें से 3 (तीन) स्थानों का निराकरण कर दिया गया तथा संवेदक (रियायतग्राही) के द्वारा उन स्थानों पर WMM के स्तर तक निर्माण कर दिया गया है।

3. आज के परिवेश में यातायात के कारण निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है। डोरीगंज में पूर्व में राजमार्ग पर खड़े मालवाहक वाहनों का पड़ाव जिला प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है तथा जाम के कारण पूर्व में जो समस्या यातायात में आ रही थी वह दूर हो गयी है।

विश्वासभाजन

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः

1. मुख्य महाप्रबंधक (तक0)–सह– क्षेत्रीय पदाधिकारी, भाराराप्रा, पटना।
2. दल प्रमुख, मेसर्स हाइवे ई0 कंस्लटेंट, सोनपुर, सारण।
3. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स छपरा हाजीपुर एक्सप्रेसवे लि0 नयागॉव, सारण।

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. NO. 1382/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

HP/(E)Draive/Letter 22/Feb Itters Hindi/S.K.

402

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31.12.2023
GOVT. OF INDIA

Rolling Wmm layer & solder soil grading Ch 166

2103

NOTARY
N. P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA

404

Ch 162+710to162+760rhs
REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2022/1/27 15:38

Ch 163+590to163+670lhs Wmm rolling
CATERPILLAR
NOTARY
N. F. GUPTA
KOLKATA
GOVT. OF INDIA
Feb 2, 2022 11:19:31 AM

405

SARAN COLLECTORATE, CHAPRA

(District Legal Section)

Letter no. / Legal Chapra, Dated February,2022	Phone No. 06152-240001,240002 Fax No. 06152-240006 E mail- dm-saran.bih@nic.in

From,

Rajesh Meena, I.A.S.
District Magistrate,
Saran, Chapra.

To,

Shri Surendra Kumar,
Standing Counsel,
Governmennt of Bihar,
Hon'ble National Green Tribunal,
East Zone,
Kolkata.

Sub:- Statement of facts for filing supplimentary counter affidavit in OA 85/2020 Wind Commander B. N. P. Singh Vs The District Magistrate, Saran & others

Sir,

With reference to above mentioned subject Shri Anil Kumar, District Land Acquisition Officer, Saran is hereby authorize to file supplementary counter affidavit on behalf of undersigned in the aforesaid case.

Yours faithfully

05/02/22

District Magistrate
Saran, Chapra

NOTARY
N.P. GUPTA
KOLKATA
REGN. No.-13823/18
VALID TILL 31-12-2023
GOVT. OF INDIA